

❖ कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) ❖

पुराना कोल डिपो, झोटवाडा रोड, पानी पेच, जयपुर-302016 e-mail dcfjaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ/2024-25/ 8196
निमित्त,

दिनांक 18/9/24

अधिशायी अभियंता, सा0 नि0 विभाग,
खण्ड-जमवारामगढ़ (जयपुर)।

विषय:- प्रस्ताव "Upgradation of Road from Bhanpura Kalan to Gol Via Nagal Tulsidas, Toda Meena, Tala, Jaichandpura , Gathwari, Bobari , Under PMGSY-III, District -Jaipur (Rajasthan)& FP/RJ/ROAD/149378/2021 के क्रम में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय के पत्रांक 7068 दिनांक 5.08.2024 द्वारा जारी ई.डी.एस. के क्रम में आप द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये जवाब दिनांक 6.09.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख हैं कि इस कार्यालय के पत्रांक 7068 दिनांक 5.08.24 द्वारा जारी ई.डी.एस. के क्रम में आप द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये जवाब दिनांक 6.09.2024 का परीक्षण करने पर उसमें निम्नांकित कमियां पाई गयी हैं:-

1. इस कार्यालय के पत्रांक 6400 दिनांक 8.07.2024 के क्रम में आपके कार्यालय के पत्रांक स्पे. 01 कैम्प जयपुर दिनांक 23.07.2024 को दिये गये जवाब अनुसार उक्त प्रस्तावित सड़क वाला क्षेत्र अब अधिशायी अभियन्ता, सा. नि. वि. खण्ड बस्सी जिला जयपुर की जगह अधिशायी अभियन्ता, सा. नि. वि. खण्ड जमवारामगढ़ जिला जयपुर के क्षेत्राधिकार में आता हैं। अतः उक्त आर्डर की प्रति (पार्ट- 1 में) संलग्न किया जाना हैं।
2. उक्त प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों के सारांश का दिया जाना प्रस्तावित हैं। जिसके संबंध में क्षेत्रीय वन अधिकारी, अचरोल के साथ संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण कर प्रस्तावित मार्ग में आने वाले वृक्षों की ऊँचाई, गर्त व प्रजातिवार गणना कर संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित किया जाना हैं। मौका निरीक्षण कर संयुक्त रिपोर्ट बनाने हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, अचरोल श्री गोरव राठी मोबाईल नं.-8302874855 पर सम्पर्क करें।

उल्लेखनीय हैं कि कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 60-62 दिनांक 9.01.2024 एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6400 दिनांक 8.07.2024 व पत्रांक 7068 दिनांक 5.08.2024 द्वारा उक्त बिन्दु संख्या-02 की पालना करने हेतु लिखा गया था, किन्तु आपके कार्यालय द्वारा उक्त बिन्दु की पालना किये बिना ही प्रस्ताव को इस कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाता हैं, जिससे प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक ही विलम्ब हो रहा हैं।

भवदीय

(डी.पी.जागावत) IFS
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ/2024-25/

दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, अचरोल को देकर लेख हैं कि पूरे प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों के सारांश का दिया जाना प्रस्तावित हैं। उक्त के क्रम में यूजर एजेन्सी से सामांजस्य स्थापित कर संयुक्त निरीक्षण करने के उपरान्त संयुक्त मौका रिपोर्ट बनाकर प्रेषित करावें। जिसमें स्पष्ट टिप्पणी करें की इस प्रस्ताव में कितने वृक्ष काटे जायेंगे या नहीं काटे जायेंगे।

RajKaj Ref
10535943



Signature valid

Digitally signed by Devenara Pratap Jagawat
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2024.09.18 16:55:28 IST
Reason: Approved